निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 106/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. सुमन भटनागर पत्नी स्व॰ श्री विनोद भटनागर
2. गौरव भटनागर पुत्र स्व॰ श्री विनोद भटनागर

   समस्त जाति कायस्थ निवासी 41, श्यामपुरी, कांटा, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर।
3. स्वाति पत्नी पवन माथुर पुत्री स्व॰ श्री विनोद भटनागर जाति कायस्थ निवासी 394, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री अरूण कुमार जैन आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर ।
2. तहसीलदार जोबनेर, जिला जयपुर ।

मुख्य अप्रार्थीगण

3. बाल कंवर पत्नी स्व॰ श्री बालकृष्ण भटनागर
4. आजाद पुत्र स्व॰ श्री बालकृष्ण भटनागर
5. चन्द्र प्रकाश पुत्र स्व॰ श्री बालकृष्ण भटनागर
6. विजय लक्ष्मी पुत्री स्व॰ श्री बालकृष्ण भटनागर
7. अन्नपूर्णा पुत्री स्व॰ श्री बालकृष्ण भटनागर
8. वीणा पुत्री स्व॰ श्री बालकृष्ण भटनागर

   समस्त जाति कायस्थ, निवासी म॰ नं॰ 72 वकीलों का मोहल्ला, जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ।
9. सुरेश चन्द्र भटनागर पुत्र स्व; श्री नन्दलाल जाति कायस्थ, निवासी म॰ नं॰ 72 वकीलों का मोहल्ला, जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ।

औपचारिक अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 147/2022 ब उनवानी विनोद भटनागर बनाम बाल कृष्ण भटनागर व अन्य मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री प्रभू सिंह राजावत अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री हिमांशु सोगानी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 7 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 13.07.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष प्रकरण संख्या 147/2022 व उनवानी विनोद भटनागर बनाम बाल कृष्ण भटनागर व अन्य मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री हिमांशु सोगानी ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 16.05.2019 को वाद ग्रस्त आराजी का बेचान नहीं करने एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने व अनाधिकृत कब्जा नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन था जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 से तथा अजनबी केता से मिलीभगत कर न्यायिक प्रावधानों के विपरीत अप्रार्थीगण को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विना किसी कारण के खारिज फरमा दिया तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 8 का काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विभाजन के आदेश में विभाजन से पूर्व ही विशिष्ठ भू-भाग का नामान्तरकरण कब्जे के आधार पर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील संख्या 270/2023 उनवानी विनोद भटनागर बनाम बाल कृष्ण भटनागर प्रस्तुत की जो स्वीकार होकर निर्णय दिनांक 24.05.2023 द्वारा उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के निर्णय दिनांक 29.03.2023 को खारिज कर प्रकरण पुनः विधि सम्मत निर्णय हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के न्यायालय में सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया । उक्त निर्णय दिनांक 24.05.2023 की पालना हेतु प्रमाणित प्रतिलिपि ले कर प्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 के कैम्प ढाणी नागान में दिनांक 02.06.2023 को मिल कर पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः दर्ज करने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने कैम्प में ही एलानिया रूप से कहा कि मैने पूर्व निर्णय दिनांक 29.03.2023 के बाद तुम्हारी दादी मोहनी देवी द्वारा किये गये राजिस्टर्ड हक त्याग पत्र को भी अन्य आदेश दिनांक 24.04.2023 द्वारा निरस्त कर समान रूप से 1/3–1/3 भाग का नामान्तरकरण दर्ज कराने का आदेश पारित कर दिया था। अब पुनः मै यही आदेश पारित करूंगा जिससे प्रार्थीगण को न्याय मिलने में अंदेशा हो गया है तथा इस भूमि का अनजबी केता राजेन्द्र दायमा व अप्रार्थी संख्या 5, अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के चैम्बर मे बैठे

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रहते है। जिन्होंने चैम्बर से निकलते हुये एलानिया धमकी दी कि हम पहले की तरह ही पुनः आदेश पारित करवा लेंगे तथा तुम्हें बेदखल कर देंगे। जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 20.04.2023 को प्रसारित किये गये अवैधानिक निर्णय की प्रतिलिपि जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने निहित शक्तियों का गलत उपयोग कर अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 8 व अजनबी क्रेता राजेन्द्र दायमा को नाजायज फायदा पहुँचाने की गरज से रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 10.05.2019 के बाबत नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने व समान रूप से खातेदारी दर्ज करने का विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित कर दिया जिससे प्रार्थीगण को यह स्पष्ट हो चुका है कि अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थीगण को इस प्रकरण में न्याय की कोई गुंजाईश नहीं है। अप्रार्थी सांख्या 1 के विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल में इसं मिलीभगत व मनमर्जी के बाबत शिकायत दर्ज करवाई गई है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण से बिलकुल नाराज हो कर प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णय पारित करने हेतु संकल्प ले चुके है। जिससे प्रकरण को निष्पक्ष सुनवाई हेतु दीगर सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 7 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर ने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में वर्णित प्रावधानों के तहत ही प्रार्थना पत्र खारिज किया था ।अप्रार्थी संख्या 1 ने जो भी आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत व निष्पक्ष पारित किया गया है । हक त्याग दिनांक 10.05.2019 पूर्व वाद में मोहिनी देवी द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा तथा पूर्व वाद में वर्णित वाद पत्र व राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से व काउन्टर प्रा॰ पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में हक त्याग पत्र. दिनांक 10.05.2019 के आधार पर नामान्तकरण न खोलने की प्रार्थना चाही जाने के आधार पर उक्त आदेश दिनांक 29.03.2023 को पारित किया गया है तथा उसमें संशोधन दिनांक 20.04.2023 को किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता या मिलीभगत नहीं है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जोबनेर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का

जिला कलक्टर
जयपुर

अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर